हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याःपीसीएच—एचए (1)2/2019—वि/पु0 62004—08 शिमला—171009 दिनांक 3.10.2020

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप—धारा (1) व (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या पीसीएच—एचए(1)2/2019—59535—567 दिनांक 15.09.2020 द्वारा अधिसूचना के कम सं0 10 पर ग्राम सभा नथान के विभाजन व नव सृजित ग्राम सभा लरांकेलो का गठन किया गया है; को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने का आदेश प्रदान करते है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा नथान दिनांक 15.09.2020 से पूर्व की यथावत स्थिति में रहेगी।

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः 62004—08 शिमला—171009 दिनांक 3.10.2020
प्रतिलिपि सेवा में :—

1. उपायुक्त, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
2. जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।
4. प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत नथान, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. ई—राजपत्र।

संयुक्त सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।